

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: आदेश :—

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राध्यापक (हिन्दी), स्कूल शिक्षा के निम्नांकित कार्मिकों के जारी पदस्थापन संशोधन/स्थानान्तरण आदेशों को उनकी हद तक तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं—

क्र. सं.	नाम कार्मिक	आदेश में क्र.सं.	आदेश दिनांक	निरस्त पदस्थापन
1	मेघाराम, मोकलसर—सिवाना, बाडमेर	70	18.12.2017	गिडा—सेडवा, बाडमेर

उपरोक्त कार्मिक अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रहेंगे।


आज्ञा से/—
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कर्मोंक:—शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/पदस्थापन-स्था./2017

दिनांक:— 08/01/18

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रा., मा. शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संबंधित उप निदेशक(माध्यमिक), शिक्षा विभाग
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिकों द्वारा यदि नवीन स्थान पर कार्यग्रहण किया गया हो तो उक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही कर शाला दर्पण अपडेट करें।
6. संबंधित कार्मिक
7. गार्ड पंजिका


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर